निगरानी 849-PBR-15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ~~केम्प~~ ग्वालियर कैम्प भोपाल

387

1. रमेश चंद आ0 सरदार सिंह रघुवंशी जाति जाट
निवासी ठाकुर बाबा मोहल्ला टिमरनी तह. टिमरनी
जिला हरदा

2. ओमप्रकाश आ0 सरदार सिंह रघुवंशी जाति जाट
निवासी शाजापुर जिला शाजापुर

3. अनूप सिंह आ0 सरदार सिंह रघुवंशी

4. आनंदीराम आ0 सरदार सिंह रघुवंशी जाति जाट

5. कलाबाई बेवा सरदार सिंह रघुवंशी जाति जाट
6निवासी ग्राम गाडामोडकलाँ तह. टिमरनी जिला हरदा

6. नरबदी पुत्री सरदार सिंह पत्नि देवी सिंह रघुवंशी

7. द्रोपती बाई पुत्री सरदार सिंह पत्नि मानकराम
निवासी सुरगी तह. सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद--- निगरानीकर्तागण

श्री संदीप दुबे अभिभाषक द्वारा कैम्प भोपाल पर प्रस्तुत 15/4/15

20-4-15

बनाम

1. भोजराम आ0 सीताराम रघुवंशी जाति जाट
निवासी नयागांव तह. टिमरनी जिला हरदा

2. दीपक कुमार आ0 रमेश चंद्र रघुवंशी

3. शीलाबाई पत्नि रमेश चंद्र रघुवंशी जाति जाट

4. सोनाबाई बेवा सरदार सिंह रघुवंशी जाति जाट
सभी निवासी ठाकुर बाबा मोहल्ला टिमरनी तह. टिमरनी
जिला हरदा

पता गलत
*5. उर्मिलाबाई पुत्री सरदार सिंह पत्नि धनराज रघुवंशी
जाति जाट निवासी प्रतापपुरा तह. नया हरसूद जिला खंडवा शेष

पता गलत

6\. निर्मला बाई पुत्री सरदार सिंह पत्नि जगदीश रघुवंशी जाति जाट निवासी देवलवी तहसील नयाहरसूद जिला खण्डवा

7\. पुष्पा बाई पुत्री सरदार सिंह पत्नि जवाहर लाल रघुवंशी जाति जाट, निवासी नांदियाखेड़ा तह. रेहटी जिला सीहोर म.प्र.

8\. आर सिंह उर्फ अतुल सिंह आ0 केसरे सिंह रघुवंशी जाति जाट निवासी ग्राम नयागांव तहसील टिमरनी जिला हरदा

9\. श्यामा पुत्री सरदार सिंह पत्नि शिवप्रसाद रघुवंशी निवासी शिवनीमालवा जिला होशंगाबाद म.प्र.

10\. अनीता पुत्री सरदार सिंह पत्नि जितेन्द्र रघुवंशी निवासी नांदियाखेड़ा तहसील रेहटी जिला सीहोर.

11 हेमराज आ0 सीताराम रघुवंशी

12\. विक्रम सिंह आ0 सीताराम रघुवंशी

13 प्रेमबाई पत्नि हुकुम सिंह रघुवंशी

14 सुनिता बाई पत्नि हुकुम सिंह रघुवंशी

15 योगेन्द्र आ0 हुकुम सिंह रघुवंशी

सभी निवासी ग्राम नयागांव तहसील टिमरनी जिला हरदा

16 सावित्री पुत्री सीताराम पत्नि रामभरोस रघुवंशी निवासी प्रतापपुरा तहसील नयाहरदा जिला खण्डवा

17 निर्मला उर्फ निर्मला पुत्री सीताराम पत्नि [illegible] रघुवंशी निवासी नांदियाखेड़ी तहसील रेहटी जिला सीहोर

18 शांकर बाई पुत्री सीताराम पत्नि सैश रघुवंशी निवासी बिरला कोलोनी आई टी आई रोड मा. नं. 25 होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद

19\. सोनिता पुत्री सीताराम पत्नि हुकुमसिंह रघुवंशी जाति जाट निवासी माइनारोड वार्ड तह. टिमरनी जिला हरदा .....उत्तरवादीगण

2

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

उपरोक्त निगरानी निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्र.क्र. 16/अपील /13-14 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11.3.15 से विपरीत प्रभावित होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत करता है ।

1. यह कि, उक्त आवेदक क्र. 1 द्वारा ग्राम [illegible] प.ह.नं. 4/5 तहसील टिमरनी जिला हरदा के संशोधन क्र. 24/152 दर्ज दिनांक 24.2.2013 की जानकारी 28.10.13 को प्राप्त होने से एवं प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 31.10.13 के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमे निगरानीकर्ता उत्तरवादी क्र.1 रहा है तथा शेष उत्तरवादी के रूप मे पक्षकार रहे है जिसमे उत्तरवादी क्र.1 द्वारा उपरोक्त संशोधन की जानकारी 28.10.13 को होना बताया है जिसमे लगभग 8 माह का विलंब है जिसमे उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ 10 माह के विलंब का स्पष्ट कारण नही दिया न ही जानकारी का स्रोत नही बताया जबकि अपील मेमो मे उनके द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा होना बताया जो कि शंका उत्पन्न करता है फिर भी अनुविभागीय अधि0 द्वारा अपने समक्ष लंबित अपील मे 11.2.15 को प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण को नियत नही किया गया है एवं प्रकरण आदेश हेतु 10.3.15 को लगाया जिस दिन स्थानीय अवकाश होने के कारण प्रकरण मे दिनांक 11.3.15 को लेखीय तर्क के पश्चात आदेश पारित किये गये जबकि विधि अनुसार स्थानीय अवकाश होने के कारण प्रकरण मे पक्षकारो को नोटिस जारी किया जाना था किंतु उनके द्वारा ऐसा न करते हुये एक पक्षीय दृष्टिकोण अपनाते हुये परिसीमा अधिनियम के

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

3

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-849-पीबीआर/2015 जिला हरदा रमेशचंद्र विरूद्ध भोजराम

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 30-01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br><br>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री संदीप दुबे उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी के प्रकरण क्रमांक 16/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 11-03-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 15-04-2015 को पुनरीक्षण याचिका कैम्प भोपाल पर प्रस्तुत की गई थी।<br><br>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br><br>''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''<br><br>4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर हरदा के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । | |

30/01/19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर हरदा को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर हरदा के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर हरदा के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य